कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू

क्रमांक-शानि / स्कूल शिक्षा / चूरू / संस्था-ब / आरपीएससी-2018 / 2020 दिनांक 24.08.2020

-:परामर्श शिविर (काउंसलिंग) संशोधित कार्यक्रम:-

परामर्श कैम्प स्थल :- राजकीय पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय, नेचर पार्क के पास, चूरू

क्र. सं.	दिनांक	विषय	उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी	पंजीकरण समय	काउंसलिंग
1	28.08.2020	संस्कृत	वरीयता बिन्दु 01 से 09 तक के अभ्यर्थी (दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, भूपूसै, पति-पत्नी एवं समस्त महिला)	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.30 बजे से
2	29.08.2020	संस्कृत	अन्य शेष अभ्यर्थी	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.30 बजे से
3	01.09.2020	सामाजिक विज्ञान	वरीयता बिन्दु 01 से 09 तक के अभ्यर्थी (दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, भूपूसै, पति-पत्नी एवं समस्त महिला)	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.30 बजे से
4	02.09.2020	सामाजिक विज्ञान	अन्य शेष अभ्यर्थी	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.30 बजे से
5	03.09.2020	हिन्दी	वरीयता बिन्दु 01 से 09 तक के अभ्यर्थी (दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, भूपूसै, पति-पत्नी एवं समस्त महिला)	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.30 बजे से
6	04.09.2020	हिन्दी	अन्य शेष अभ्यर्थी	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक	प्रातः 11.30 बजे से

विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी परामर्श तिथि को कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें । परामर्श कैम्प में अनुपस्थित अभ्यार्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा । काउसंलिग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी की गई गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करेगें । अभ्यर्थी मास्क पहनकर ही काउंसलिग में उपस्थित हों एवं प्रांगण में सोशल डिस्टेशिंग का भी पालन करेगें । वरियता सूची का निर्धारण निम्न बिन्दुओनुसार किया गया है ।

क्र. स.	वरीयता बिन्दु	वरियता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र /अभ्यावेदन
1.	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण-पत्र
2.	विधवा महिला	पति का मृत्यू प्रमाण-पत्र एवं काउंसलिग दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने का शपथ-पत्र 50/- रू0 के स्टाम्प पेपर पर ।
3.	परित्यकता महिला	सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छिन्न संबंधी डिक्री एवं काउंसलिग दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने का शपथ-पत्र 50/- रू0 के स्टाम्प पेपर पर ।
4.	एकल महिला (अविवाहित)	काउंसलिग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ-पत्र 50/-रू0 के स्टाम्प पेपर पर ।
5	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
6.	पति-पत्नी प्रकरण (पूर्व से)	पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में चूरू संभाग (जिला-चूरू/झुंझुनू/सीकर) में कार्यरत हो तो कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र ।
7.	पति-पत्नी प्रकरण (वर्तमानभर्ती)	उक्त भर्ती में समान/असमान विषय में पति-पत्नी दोनो के चयन होने एवं चूरू संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपति में से किसी एक को प्राप्त उच्चं वरियता के क्रमानुसार प्राथमिकता हेतु मैरिट के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र
8.	शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री /वीरांगना)	सम्बन्धित शहीद का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने संबंधी शपथ-पत्र ।
9.	महिला अभ्यर्थी	
10	अन्य शेष अभ्यर्थी	

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यार्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा । यदि किसी अभ्यार्थी को वरीयता निर्धारण में संशोधन/आपत्ति हो तो वह काउंसलिग दिवस को ही प्रात 10.00 बजे तक काउंसलिग स्थल पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है । इसके पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

चयनित अभ्यर्थी को निम्न दस्तावेज (मूल व छाया प्रति) अनिवार्य रूप से साथ लेकर उपस्थित होवें ।

1. फोटो युक्त पहचान-पत्र (आइडी)मूल एवं फोटो प्रति एवं अभ्यार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो (आवेदन में जो चस्पा किये है)
2. समस्त दस्तावेजो की मूल एवं एक छाया प्रति स्वप्रमाणित एवं अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन के साथ संलग्न किये गये हो अथवा विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तो इत्यादि से संबंधित हो ।
3. आरक्षण संबंधी दस्तावेज (अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्रजो पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए ।

उपरोक्त दस्तावेजो के अभाव में कार्मिक को काउंसलिग प्रकिया से बाहर किया जा सकता है । संबंधित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि सूची में वर्णित वांछित मूल दस्तावेजों एवं उसकी छाया प्रति सहित निर्धारित स्थान एवं समय पर काउंसलिग में उपस्थित हो ।

संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
चूरू संभाग चूरू